राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ13/1/3/आरजीआई/वीएस/डीईएस/2017/50 दिनांकः- 24-1-2025

शासन सचिव
सूचना प्रौद्योगिकी एव संचार विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– आधार कार्ड में अंकित जन्म दिनांक में परिवर्तन/संशोधन के संबंध में।
संदर्भः– जिला कलक्टर दौसा का पत्रांक 155 दिनांक 16.01.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में निवेदन है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभारी अधिकारी (संयुक्त निदेशक), यू.आई.डी. आई. द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.10.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा आधार कार्ड में जन्मतिथि में एक से अधिक बार अद्यतन/संशोधन हेतु वैध जन्म प्रमाण पत्र के साथ–साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश (विलम्बित जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में) एवं परिवादी की स्व–घोषणा के साथ आवेदन करने हेतु लिखा गया है जो कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, संशोधित अधिनियम 2023 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन है एवं उक्त आदेशों से आमजन को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त क्रम में राज्य में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन कार्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 एवं राजस्थान जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। उक्त अधिनियम/नियमों में निर्धारित समयावधि के बाद (विलम्बित) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावधान निहित किये गये है जो निम्नानुसार हैः–

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं 9(2) के अनुसार विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रकरणों में 30 दिन से एक वर्ष की विलम्बित अवधि के लिए शपथ पत्र पर जिला रजिस्ट्रार (शहरी क्षेत्र)/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (ग्रामीण क्षेत्र) की अनुज्ञा एवं **जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 9(3)** के अनुसार 1 वर्ष से अधिक की विलम्बित अवधि के पंजीकरण के लिए शपथ पत्र पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा प्रस्तुत करनी होती है जिसके आधार पर संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 में विलम्बित श्रेणी के अंतर्गत धारा 13(2) एवं धारा 13(3) नवीन प्रावधान किये गये है जो निम्नानुसार हैः–

योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

धारा 13(2)—जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के तीस दिन के पश्चात किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह केवल जिला रजिस्ट्रार या इस निमित्त विहित अधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर और निर्धारित विलंब फीस के संदाय पर तथा प्रारूप सं. 14 में स्व–अनुप्रमाणित दस्तावेज को इलैक्ट्रानिकी रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

धारा 13(3)—जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और निर्धारित विलंब फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी

अतः अनुरोध है कि आधार में जन्म तिथि में संशोधन/अद्यतन के संबंध में नियमानुसार जारी जन्म प्रमाण पत्रों के साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश (विलम्बित जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में) एवं परिवादी की स्व–घोषणा पुनः नहीं लिये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(अनुपमा जोरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः—एफ13/1/3/आरजीआई/वीएस/डीईएस/2017/ 51-52 दिनांकः- 24-1-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली।
2. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), जिला दौसा।

विशिष्ट शासन सचिव

योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by Anupama Jorwal <anupamajorwal@gmail.com>.

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : Special Secretary To Government
Date :24-01-2025 12:45:00

RajKaj Ref No.: 13177790